

मौजूदा और नियोजित उपाय

जातीय अल्पसंख्यकों के लिए समानता के प्रचार पर

आप्रवासन

आव्रजन विभाग भेदभाव के बिना गुणवत्ता सेवा प्रदान करेगा और जनता के प्रत्येक सदस्य के साथ सम्मान, विचार और करुणा के साथ व्यवहार करेगा, चाहे वह विकलांगता, सेक्स, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, परिवार की स्थिति, नस्ल, राष्ट्रीयता और धर्म से संबंधित हो।

- | | |
|-----------------------|---|
| संबंधित सेवाएं | <ul style="list-style-type: none">• जनता आप्रवासन सेवाओं का उपयोग आप्रवासन मुख्यालय, शाखा कार्यालयों, व्यक्तियों के कार्यालयों के पंजीकरण, स्मार्ट पहचान कार्ड प्रतिस्थापन केंद्र, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रियों और आप्रवासन नियंत्रण बिंदुओं पर कर सकती है। |
| मौजूदा उपाय | <ul style="list-style-type: none">• विभाग अपनी सेवाओं के प्रावधान में चीनी और / या अंग्रेजी का उपयोग करता है।• विभाग चीनी और /या अंग्रेजी में जनता के लिए सूचना पत्रक और आवेदन पत्र प्रदान करता है। विभागीय वेबसाइट पर जानकारी चीनी और अंग्रेजी दोनों में है। जहाँ उपयुक्त और व्यवहारिक हो, कुछ जानकारी (उदाहरण के लिए नोट, व्यक्तिगत अधिकारों आदि के नोटिस, रूप) का संदर्भ के लिए जातीय अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है।• जहाँ उपयुक्त और व्यवहारिक है, विभाग व्याख्या सेवा की व्यवस्था करेगा।• आव्रजन नियंत्रण का अभ्यास करने में, आव्रजन कर्मचारी जातीय |

अल्पसंख्यकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करेंगे। जब यात्रियों को उत्तरने की अनुमति से इनकार कर दिया जाता है, तो सेवा प्रदान की जाने वाली नोटिस विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जातीय अल्पसंख्यक यात्रियों ने भूमि से इनकार कर दिया, उनसे संबंधित आव्रजन नीतियों को समझने में सक्षम हैं।

- विभाग समान अवसर और जाति भेदभाव अध्यादेश से जुड़े मुद्रों के संबंध में अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।
 - विभाग विभिन्न चैनलों के माध्यम से जातीय अल्पसंख्यक बच्चों और युवाओं को शामिल करता है, जिसमें बातचीत, दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
- भविष्य कार्य का आकलन**
- हम अपनी सेवाओं का समय-समय पर आकलन करेंगे, जनता और कर्मचारियों से फीडबैक और सुझावों पर विचार करेंगे ताकि आवश्यक और उचित होने पर हमारी सेवाओं को और बढ़ाया जा सके।

यदि आपके पास कोई प्रतिक्रिया या सुझाव है, तो कृपया प्रबंधन ऑफिट अनुभाग से 2829 4141 या 2829 4142 पर संपर्क करें।

**आप्रवासन विभाग
जुलाई 2019**